



7/5/25

पत्रावली पेश हुई। वादी- प्रातःवादी आधीवक्ता अफ।
वादी आधीवक्ता द्वारा न्यायाधीश में प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 वा- दीवानी का जवाब
पेश करने हेतु न्यायाधीश में अवसर चाहा गया।
अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12/5/25 को
वादी प्रातःवादी के जवाब) वराम हेतु पेश हो।


7/5/25

12/5/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधी- अनुपस्थित
प्रातःवादी अफ। अफ। वादी एवं वादी आधीवक्ता को
विधमानुसार तीन बार आवाजे लगवाई गई, कोई
अस्मित नहीं आया। वादी एवं वादी आधीवक्ता
को उपस्थित नहीं आने से वादी एवं वादी आधीवक्ता
को न्यायाधीश में पुनः एक बार आवाज लगवाई
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी
द्वारा उद्धृत वाद अन्तर्गत धारा 89, 188 शब्द
वाक्यकारी आधीनियम को अदम लज्जी/भद्र
पैली में खारिज किया जाता है। नियम से
इसलाह सुनाया गया। रिक्ति पत्र जारी हो।
पत्रावली का मूल शुमार होकर
ब्यालील पत्र हो तथा नम्बर से कम हो।


12/5/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भगवान पिता दल्ला जी कीर उम्र 65 साल निवासी गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भैरु पिता दल्ला जी कीर उम्र 65 साल निवासी गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नन्दु पिता रामचन्द्र जी कीर उम्र 65 साल निवासी गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. लच्छीराम उर्फ लच्छु पिता उदयराम कीर उम्र 65 साल निवासी गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. भूरा पिता उदयराम कीर उम्र 65 साल निवासी गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. रोशन पिता उदयराम कीर उम्र 65 साल निवासी गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. शंकर पिता उदयराम कीर उम्र 65 साल निवासी गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. सोहन पिता हजारी कीर उम्र 65 साल निवासी गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. हीरा पिता कालू जाट उम्र वयस्क निवासी दुडिया गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चम्पा पिता दोला जी जाट उम्र वयस्क निवासी दुडिया गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. जगन्नाथ पिता दोला जी जाट उम्र वयस्क निवासी दुडिया गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. जमना पिता दोला जी जाट उम्र वयस्क निवासी दुडिया गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. लक्ष्मण पिता जोधा जाट उम्र वयस्क निवासी दुडिया गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. जमना पिता जोधा जाट उम्र वयस्क निवासी दुडिया गाडरमाला, भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 49/2019 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री श्याम लाल आगाल अनुपस्थित— इस वाद में आज तारीख 12.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा